पर रिमांड व मौका की स्थानियति के आदेश पारित
रखा जावे। इस पर वकील अप्रार्थी नं. 1 ने कहा
भूमि मे दखलदारी नहीं रखे तथा अप्रार्थी नं. 2
अधिवक्ता ने अपनी भूमि की हद पर दखल
आदेश विरक्त रखने की प्रार्थना की। बहस सुनी
गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.7.24 को
पेश है।

22/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण
उपस्थित। पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय निम्न
से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाता।
पत्रावली को स्थगित हेतु - दीपावली फायर
होवे।